# लोक सेवा आयोग, उ0प्र0

विज्ञापन संख्या-
ए-2/ई-1/2003

## उ.प्र. न्यायिक सेवा सिविल जज (जूनियर डिवीजन) प्रारम्भिक परीक्षा, 2003

**आवेदन पत्र प्राप्त किये जाने की अन्तिम तिथिः 19 दिसम्बर, 2003**    **डाकघरों के माध्यम से आवेदन पत्र वितरण की तिथि : 22 नवम्बर, 2003**

**आवश्यक सूचना**

यह विज्ञापन उ. प्र. लोक सेवा आयोग के वेबसाइट http://uppsc.nic.in पर भी उपलब्ध है।

2. इस परीक्षा में ओ.एम.आर. आवेदन पत्र पद्धति लागू है। अभ्यर्थी आवेदन पत्र विज्ञापन में अंकित सूची में दिए गए डाकघरों से क्रय कर सकते हैं। जे.पी.जी. सिरीज के आवेदन पत्रों (सामान्य अभ्यर्थियों, उ.प्र. के अन्य पिछड़े वर्ग के अभ्यर्थियों तथा उ.प्र. के स्वतंत्रता संग्राम सेनानी के आश्रित अभ्यर्थियों हेतु) का मूल्य रू. 150/- तथा जे.पी.आर. सिरीज (उ.प्र. के अनुसूचित जाति/उ.प्र. के अनुसूचित जनजाति के अभ्यर्थियों हेतु) का मूल्य रू. 90/- है। उ.प्र. के भूतपूर्व सैनिक अभ्यर्थी आवेदन पत्र अपनी मुख्य श्रेणी के अनुसार ही क्रय करेंगे।

3. अभ्यर्थी अपने ओ.एम.आर. आवेदन पत्र की फोटो स्टेट प्रति अपने पास अवश्य रखें तथा भविष्य के पत्राचार में ओ.एम.आर. आवेदन पत्र के नम्बर का उल्लेख अवश्य करें।

उ.प्र. लोक सेवा आयोग, उ.प्र. न्यायिक सेवा सिविल जज (जूनियर डिवीजन) मुख्य परीक्षा (लिखित परीक्षा) में प्रवेश हेतु उपयुक्त अभ्यर्थियों के चयन हेतु परिशिष्ट-1 में उल्लिखित जिलों के विभिन्न परीक्षा केन्द्रों पर मार्च, 2004 में एक प्रारम्भिक परीक्षा का आयोजन करेगा।

परीक्षा की तिथि तथा परीक्षा केन्द्रों का नाम अभ्यर्थियों को प्रवेश पत्र के माध्यम से सूचित किया जायेगा। परीक्षा केन्द्रों का आवंटन आयोग द्वारा स्वविवेकानुसार किया जायेगा।

**2. रिक्तियाँ** :- रिक्तियों की कुल संख्या-347 है जिसमें उ.प्र. के अनुसूचित जाति के अभ्यर्थियों के लिए 73, उ.प्र. के अनुसूचित जनजाति के अभ्यर्थियों के लिए 07, उ.प्र. के अन्य पिछड़े वर्ग के अभ्यर्थियों के लिए 94 एवं सामान्य वर्ग के अभ्यर्थियों के लिए 173 रिक्तियाँ आरक्षित हैं। शासनादेश संख्या-18/1/95-का-2/1995 टी.सी.-1/97, दिनांक 20.3.97 में दिए प्राविधानानुसार उ.प्र. के स्वतंत्रता संग्राम सेनानियों के आश्रितों को दो प्रतिशत तथा उ.प्र. के भूतपूर्व सैनिकों को एक प्रतिशत आरक्षण का लाभ प्रदान किया जायेगा। पद की प्रकृति को दृष्टिगत रखते हुए उ.प्र. के समाज के विकलांगों को आरक्षण दिया जाना अनुमन्य नहीं है।

नोट :- (1) आरक्षण का लाभ चाहने वाले अभ्यर्थी सम्बन्धित आरक्षित श्रेणी/उपश्रेणी के समर्थन में इस विज्ञापन के परिशिष्ट-3 में मुद्रित निर्धारित प्रारूप पर सक्षम अधिकारी द्वारा जारी प्रमाणपत्र प्राप्त कर लें एवं जब उनसे अपेक्षा की जाय तब वे उसे आयोग को प्रस्तुत करें। (2) आरक्षित श्रेणी के सभी अभ्यर्थी ओ.एम.आर. आवेदन पत्र में अपनी श्रेणी/उपश्रेणी अवश्य अंकित करें। (3) एक से अधिक आरक्षित श्रेणी का दावा करने वाले अभ्यर्थियों को केवल एक छूट जो अधिक लाभकारी हो, दी जायेगी। (4) अनुसूचित जाति, अनु. जनजाति, अन्य पिछड़ा वर्ग, स्वतंत्रता संग्राम सेनानी के आश्रित एवं भूतपूर्व सैनिक जो उ.प्र. राज्य के मूल निवासी नहीं हैं, उन्हें आरक्षण का लाभ अनुमन्य नहीं है। ऐसे अभ्यर्थी सामान्य श्रेणी के अभ्यर्थी माने जायेंगे। (5) उ.प्र. न्यायिक सेवा नियमावली 2001 के नियम-8 के अन्तर्गत उ.प्र. की महिलाओं के लिए आरक्षित रिक्तियाँ - (1) विशेष अनुज्ञा याचिका सं. - 15768/2001 मंजुला श्रीवास्तव बनाम हरेन्द्र बहादुर सिंह, (2) विशेष अनुज्ञा याचिका संख्या - 18822/2001 उ.प्र. राज्य बनाम हरेन्द्र बहादुर सिंह, (3) विशेष अनुज्ञा याचिका संख्या - 628/2001 कु. शिवानी जायसवाल बनाम हरेन्द्र बहादुर सिंह, (4) विशेष अनुज्ञा याचिका संख्या-18824/2001 उ.प्र. राज्य बनाम हरेन्द्र बहादुर सिंह एवं (5) विशेष अनुज्ञा याचिका संख्या - 18/2001 कु. शिवानी जायसवाल बनाम हरेन्द्र बहादुर सिंह में मा. उच्चतम न्यायालय द्वारा पारित निर्णय के अधीन होंगी। *अपरिहार्य परिस्थितियों में रिक्तियों की संख्या घट-बढ़ सकती है।*

3. **वेतनमान** :- 9000-250-10750-300-13150-350-14550

4. **शैक्षिक अर्हता** :- (क) उ.प्र. में विधि द्वारा स्थापित किसी विश्वविद्यालय से या राज्यपाल द्वारा इस प्रयोजन के लिये मान्यता प्राप्त भारत के किसी अन्य विश्वविद्यालय से विधि में स्नातक उपाधि होना आवश्यक है। अथवा (ख) अधिवक्ता अधिनियम, 1961 के उपबन्धों के अधीन नामांकित कोई अधिवक्ता या इंग्लैंड या नार्दर्न आयरलैण्ड का कोई बैरिस्टर या स्काटलैण्ड में अधिवक्ताओं के संकाय का कोई सदस्य और वह न्यायालय या उसके अधीनस्थ न्यायालय में व्यवसाय करने का हकदार होना आवश्यक है। (ग) देवनागरी लिपि में हिंदी का अच्छा ज्ञान आवश्यक है।

5. **आयु सीमा** :- अभ्यर्थियों को 01 जुलाई, 2004 को 22 वर्ष की आयु अवश्य पूरी करनी चाहिए तथा 35 वर्ष से अधिक आयु का नहीं होना चाहिए अर्थात उनका जन्म 02 जुलाई, 1969 से पूर्व तथा 01 जुलाई, 1982 के बाद का नहीं होना चाहिए, परन्तु उ.प्र. के अनुसूचित जाति, उ.प्र. के अनुसूचित जनजाति एवं उ.प्र. के अन्य पिछड़े वर्ग के अभ्यर्थियों के लिए आयु सीमा पाँच वर्ष अधिक होगी। इसी प्रकार उ.प्र. के स्वतंत्रता संग्राम सेनानियों के आश्रितों तथा उ.प्र. के भूतपूर्व सैनिकों हेतु भी आयु सीमा पाँच वर्ष अधिक होगी। उ.प्र. न्यायिक सेवा (संशोधन) नियमावली, 2003 के प्रावधान के अनुसार जो अभ्यर्थी दिनांक 01 जुलाई, 2001 एवं 01 जुलाई, 2002 को आयुसीमान्तर्गत थे वे भी इस परीक्षा हेतु पात्र होंगे।

परन्तु किसी अभ्यर्थी को अवसर प्रदान की अनुमति की संख्या अधिकतम चार होगी। अवसर की गणना इस प्रारम्भिक परीक्षा में सम्मिलित होने से की जायेगी।

शासनादेश सं. 17/2/1981-कार्मिक-2, दिनांक 28 फरवरी 1985 के प्राविधानों के अनुसार सेना के अल्पकालीन कमीशन प्राप्त अधिकारियों/अल्पकालीन सेवा कमीशन प्राप्त अधिकारियों सहित, भूतपूर्व सैनिकों तथा कमीशन प्राप्त उन अधिकारियों को, जिन्होंने सेना में कम से कम पाँच वर्ष की सेवा की हो, निर्धारित अधिकतम आयु सीमा से अधिकतम पाँच वर्ष तक की छूट, सेवाकाल को आधार मानकर, दी जायेगी। यह छूट उन सैनिकों/अधिकारियों को भी अनुमन्य होगी जो आवेदन पत्र स्वीकार किए जाने की अन्तिम तिथि से छः माह की अवधि में कार्यमुक्त होने वाले हों। परन्तु निम्नलिखित को अनुमन्य नहीं होगी- (1) जो कदाचार अथवा अकुशलता के कारण बर्खास्त हुए हों, (2) जो सेना की सेवा से अशक्त सम्भी जाने वाली शारीरिक अयोग्यता अथवा अशक्तता के कारण सेवा मुक्त हुए हों।

शासनादेश संख्या - 22/21/1983-कार्मिक-2, दिनांक 28.11.1985 के अनुसार राष्ट्रीय अथवा अन्तर्राष्ट्रीय स्तर के वर्गीकृत खेलों के कुशल खिलाड़ियों के लिए अधिकतम आयु सीमा 5 वर्ष अधिक होगी जो उ.प्र. के मूल निवासी हैं।

6. **शुल्क** :- आवेदन पत्रों के विक्रय के समय उस पर परीक्षा शुल्क, आवेदन पत्र का मूल्य एवं डाक व्यय = रू. 150 (रू. 100 + 20 + 30) एक साथ लिया जायेगा। अभ्यर्थियों को शुल्क हेतु अलग से कोई बैंक ड्राफ्ट अथवा ट्रेजरी चालान जमा नहीं करना होगा। आवेदन पत्रों का मूल्य सामान्य अभ्यर्थियों, उ.प्र. के अन्य पिछड़े वर्ग के अभ्यर्थियों तथा उ.प्र. के स्वतंत्रता संग्राम सेनानियों के आश्रित अभ्यर्थियों हेतु रू. 150/- होगा तथा उ.प्र. के अनुसूचित जाति/उ.प्र. के अनुसूचित जनजाति के अभ्यर्थियों के लिए रू. 90/- (रू. 40 + 20 + 30) होगा। उ.प्र. के भूतपूर्व सैनिक अभ्यर्थी आवेदन पत्र अपनी मुख्य श्रेणी के अनुसार ही क्रय करेंगे। उ.प्र. के बाहर के सभी अभ्यर्थी सामान्य श्रेणी का ही आवेदन करें। अनारक्षित श्रेणी का आवेदन पत्र भरने पर निरस्त कर दिया जायेगा। आवेदन पत्रों के क्रय किए जाने के पश्चात् उसका मूल्य किसी भी दशा में लौटाया नहीं जायेगा। केवल कालबाधित आवेदन पत्र मूल रूप में लौटाए जायेंगे, परन्तु उनका मूल्य वापस नहीं होगा।

7. **आवेदन कैसे करें** :- आयोग द्वारा ओ.एम.आर. आवेदन पत्र निर्देशों सहित सूची में दर्शाए गए डाकघरों को मूल्य दर्शाते हुए उपलब्ध कराए जाएंगे तथा अभ्यर्थी उन क्रय मूल्यों के आधार पर डाकघर से प्राप्त कर सकेंगे। आवेदन पत्र का मूल्य जे.पी.जी. सिरीज (सामान्य, उ.प्र. के अन्य पिछड़े वर्ग, उ.प्र.के स्वतंत्रता संग्राम सेनानी के आश्रितों हेतु) रू. 150/- है तथा जे.पी.आर. सिरीज (उ.प्र. के अनुसूचित जाति/उ.प्र. के अनुसूचित जनजाति) हेतु रू. 90/- है। आवेदन पत्र भरने में निर्देशों का पालन अवश्य करें अन्यथा आवेदन पत्र निरस्त कर दिया जायेगा।

सभी प्रकार से पूर्ण आवेदन पत्र **सचिव, विज्ञापन संख्या - ए-2/ई-1/2003 लोक सेवा आयोग, उ.प्र., इलाहाबाद-211 018** को **दिनांक 19 दिसम्बर, 2003** को अपराह्न **5.00 बजे** तक अथवा उससे पूर्व रजिस्टर्ड डाक द्वारा अथवा हस्तेगत अवश्य पहुँच जाने चाहिए। इस तिथि के बाद प्राप्त आवेदन पत्र किसी भी दशा में स्वीकार नहीं किए जायेंगे। हस्ते-हस्त आवेदन पत्र जमा करने पर काउन्टर से रसीद अवश्य प्राप्त करें।

**8. डाकघरों की सूची** :- आगरा (282 001), अलीगढ़ (202 001), इलाहाबाद एच.ओ. (211 001), इलाहाबाद कचहरी (211 002), इलाहाबाद कैंटोनमेंट लाइन्स (211 004), इलाहाबाद (दारागंज) 211 006, इलाहाबाद सिटी 211 003, अम्बेडकर नगर (अकबरपुर)-224 122, औरैया-206 122, आजमगढ़- 276 001, बदायूँ-243 601, बागपत-250 609, बहराइच-271 801, बलरामपुर-271 201, बलिया-277 001, बांदा-210 001, बाराबंकी - 225 001, बरेली-243 001, बस्ती (बांसी)-272 161, बिजनौर-246 701, बुलन्दशहर-203 001, चन्दौली-232 109, चित्रकूट (कर्वी)-210 205, देवरिया-274 001, एटा-207 001, इटावा-206 001, फैजाबाद-224 001, फर्रुखाबाद (फतेहगढ़)-209 625, फतेहपुर-212 601, फिरोजाबाद-283 203, गौतमबुद्धनगर (नोएडा)-201 301, गाजियाबाद-201 001, गाजीपुर-233 001, गोंडा-271 001, गोरखपुर-273 001, हमीरपुर-210 301, हरदोई-241 001, हाथरस-204 101, जालौन (उरई)-285 001, जौनपुर-222 001, झांसी-284 001, ज्योतिबाफुलेनगर (अमरोहा) 244 221, कन्नौज-209725, कानपुर जी.पी.ओ.-208 001, कानपुर कैन्ट 208 004, कानपुर नवाबगंज, कौशाम्बी (मंझनपुर)-212 207, कुशीनगर (पडरौना)-274 304, लखीमपुर खीरी-262 701, ललितपुर-284 403, लखनऊ जी.पी.ओ.-226 001, लखनऊ (चौक)-226 003, महराजगंज-273 303, महोबा-210 427, मैनपुरी-205 001, मथुरा-281 001, मऊ-275 101, मेरठ-250 001, मिर्जापुर-231 001, मुरादाबाद-244 001, मुजफ्फरनगर-251 001, पीलीभीत-262 001, प्रतापगढ़-230 001, रायबरेली-229 001, रामपुर-244 901, सहारनपुर-247 001, संतकबीर नगर (खलीलाबाद), संत रविदास नगर (भदोही), शाहजहाँपुर-242 001, श्रावस्ती (भिनगा), सिद्धार्थनगर (डिटरी बाजार), सीतापुर- 261 001, सोनभद्र (राबर्ट्सगंज), सुल्तानपुर-228 001, उन्नाव-209 801, वाराणसी एच.क्यू. - 221 001, वाराणसी कैन्ट-221 002।

**9. महत्वपूर्ण निर्देश** :-

(1) एक लिफाफे में एक से अधिक अभ्यर्थियों के आवेदन पत्र होने अथवा एक लिफाफे में एक से अधिक विज्ञापनों के आवेदन पत्र होने अथवा अभ्यर्थी द्वारा अपने ही नाम से एक से अधिक आवेदन पत्र जमा किए जाने पर सभी आवेदन पत्रों को अस्वीकृत कर दिया जायेगा। फैक्स द्वारा आवेदन पत्र स्वीकार नहीं किए जायेंगे।

(2) किसी भी प्रकार से अपूर्ण एवं अहस्ताक्षरित आवेदन पत्र समयान्तर्गत होने के बावजूद भी सरसरी तौर पर अस्वीकृत कर दिए जायेंगे।

(3) आयोग सभी आवेदन पत्रों की प्राप्ति स्वीकार करेगी। यदि आवेदन पत्र प्राप्ति की अन्तिम तिथि के 30 दिन बाद तक कोई सूचना न प्राप्त हो तो अभ्यर्थी को अनुस्मारक भेजना चाहिए। आयोग कार्यालय में जमा किए जाने वाले आवेदन पत्रों की प्राप्ति रसीद प्रस्तुतिकरण के समय दी जाती है, प्राप्ति की रसीद अवश्य प्राप्त करें।

(4) अल्प कालीन कमीशन प्राप्त/अल्पकालिक कमीशन प्राप्त अधिकारी जो सेना से अवमुक्त नहीं हुए हैं, किन्तु जिनकी सैन्य सेवा में पुनर्वास के लिए वृद्धि की गई है, भी इस परीक्षा के लिए शासनादेश संख्या - 22/10/1976-का-2-85, दिनांक 30.1.85 के अनुसार निम्नलिखित शर्तों पर आवेदन कर सकते हैं :-

(क) आवेदकों को सेना, नौसेना, वायुसेना के सक्षम प्राधिकारी का इस सम्बन्ध में प्रमाण पत्र प्रस्तुत करना होगा कि उनकी सेवा अवधि पुनर्वास के लिए बढ़ाई गई है तथा उनके विरुद्ध कोई अनुशासनिक कार्यवाही लम्बित नहीं है।

(ख) आवेदकों को अपने आवेदन पत्र के साथ यह लिखित अण्डरटेकिंग प्रस्तुत करना होगा कि आवेदित पद के लिए चुन लिए जाने पर वे अपने को सैन्य सेवा से तुरन्त अवमुक्त करा लेंगे। अल्पकालीन/अल्पकालिक सेवा में कमीशन प्राप्त अधिकारियों को यह सुविधा अनुमन्य नहीं होगी यदि- (क) उन्हें सेना में स्थायी कमीशन प्राप्त हो गया है। (ख) वह त्यागपत्र देकर सैन्य सेवा से अवमुक्त हुआ हो (ग) वह सैन्य सेवा से कदाचार के कारण अवमुक्त हुए हों।

(5) **चरित्र** - सेवा में भर्ती के लिए अभ्यर्थी का चरित्र ऐसा होना चाहिये कि वह राज्यपाल की राय में सेवा में सेवायोजन के लिए सभी प्रकार से उपयुक्त हो सके। संघ सरकार या किसी राज्य सरकार की सेवा से पदच्युत या भारतीय या किसी राज्य विधिज्ञ परिषद द्वारा अधिवक्ता के रूप में व्यवसाय से विवर्जित किया गया या नैतिक अधमता के किसी अपराध के लिए भारतीय दंड संहिता या तत्समय प्रवृत्त किसी अन्य विधि के अधीन किसी अपराध के लिए दोष सिद्ध और कारावास के लिए दण्डादिष्ट कोई व्यक्ति सेवा में नियुक्ति के लिए पात्र नहीं होगा।

(6) **वैवाहिक प्रास्थिति** - सेवा में किसी पद पर नियुक्ति के लिए ऐसा पुरुष अभ्यर्थी पात्र न होगा जिसकी एक से अधिक पत्नियाँ जीवित हों या ऐसी महिला अभ्यर्थी पात्र न होगी जिसने ऐसे पुरुष से विवाह किया हो जिसकी पहले से एक पत्नी जीवित हो।

(7) **शारीरिक स्वस्थता** - किसी अभ्यर्थी को सेवा में किसी पद पर नियुक्त नहीं किया जायेगा जब तक कि मानसिक और शारीरिक दृष्टि से उसका स्वास्थ्य अच्छा न हो और वह किसी ऐसे शारीरिक दोष से मुक्त न हो जिससे उसे अपने कर्तव्यों का दक्षतापूर्वक पालन करने में बाधा पड़ने की सम्भावना हो। किसी अभ्यर्थी की नियुक्ति के लिए अन्तिम रूप से अनुमोदित किये जाने से पूर्व उससे यह अपेक्षा की जायेगी कि वह किसी चिकित्सा बोर्ड द्वारा कोई परीक्षा उत्तीर्ण करे।

(8) केवल वही अभ्यर्थी मुख्य परीक्षा (लिखित परीक्षा) के लिए आहूत किये जायेंगे, जो प्रारम्भिक परीक्षा के आधार पर आयोग द्वारा एतदर्थ निर्धारित न्यूनतम अंक प्राप्त करेंगे। उन्हें मुख्य परीक्षा हेतु आयोग द्वारा भेजे गए निर्धारित आवेदन पत्रादि भरने होंगे तथा मुख्य परीक्षा के लिए शुल्क भी जमा करना होगा।

(9) साक्षात्कार के समय अभ्यर्थी को अपने सभी मूल प्रमाण पत्र, राजपत्रित अधिकारी द्वारा सत्यापित दो फोटो तथा अन्य वांछित अभिलेख प्रस्तुत करने होंगे।

(10) केन्द्र अथवा राज्य सरकार के अधीन कार्यरत अभ्यर्थियों को साक्षात्कार के समय सेवायोजक का अनापत्ति प्रमाण पत्र भी प्रस्तुत करना होगा।

(11) आयोग अभ्यर्थियों को उनकी पात्रता के संबंध में कोई परामर्श नहीं देते हैं। इसलिए अभ्यर्थी विज्ञापन का सावधानीपूर्वक अध्ययन करें और तभी आवेदन करें जब वे संतुष्ट हो कि वे विज्ञापन की शर्तों के अनुसार अर्ह हैं। उन्हें विज्ञापन के परिशिष्ट-2 में अंकित पाठ्यक्रम का अध्ययन सावधानी से कर लेना चाहिए। अतिव्यापक, अल्पव्यापक तथा अनर्ह होने अथवा नियमों, प्रक्रिया आदि के उल्लंघन के कारण अस्वीकृत किए जाने वाले आवेदन पत्रों के मामलों में कोई शुल्क वापस नहीं किया जायेगा।

(12) आयोग आवेदन पत्रों की सरसरी जाँचकर अभ्यर्थियों को औपबन्धिक प्रवेश दे सकते हैं, किन्तु बाद में किसी भी स्तर पर यह पाए जाने पर कि अभ्यर्थी अर्ह नहीं था अथवा उसका आवेदन पत्र स्वीकार करने योग्य नहीं था अथवा वह प्रारम्भिक स्तर पर ही अस्वीकार किया जाना चाहिए था, उसका अभ्यर्थन निरस्त कर दिया जायेगा तथा यदि पद हेतु चुन लिया गया है तो भी आयोग अपनी संस्तुतियाँ वापस ले सकते हैं।

(13) कदाचार अर्थात् परीक्षा भवन में नकल करने, अनुशासनहीनता, दुर्व्यवहार अथवा अपने अभ्यर्थन के सम्बन्ध में समर्थन प्राप्त करने में लिप्त अभ्यर्थियों के अभ्यर्थन निरस्त करने का अधिकार आयोग के पास सुरक्षित है।

(14) मुख्य परीक्षा (लिखित परीक्षा) में सफल अभ्यर्थियों को व्यक्तित्व परीक्षा (साक्षात्कार) में सम्मिलित होना अनिवार्य है।

(15) यदि अभ्यर्थी के पते में कोई परिवर्तन होता है तो उसे तत्परता से आयोग को रजिस्टर्ड डाक द्वारा सूचित किया जाना चाहिए। आयोग से सभी पत्राचार में परीक्षा का नाम, विज्ञापन संख्या, अभ्यर्थी का नाम, जन्मतिथि तथा अनुक्रमांक (यदि सूचित किया गया हो) का उल्लेख अवश्य होना चाहिए।

**परिशिष्ट-1**

केन्द्रों के नाम :-

| क्र.सं. | जनपद | क्र.सं. | जनपद |
|---|---|---|---|
| 1. | आगरा | 2 | इलाहाबाद |
| 3. | बरेली | 4 | गोरखपुर |
| 5 | झाँसी | 6. | लखनऊ |
| 7. | मेरठ | 8 | वाराणसी |

**परिशिष्ट-2**

<u>उ.प्र. न्यायिक सेवा सिविल जज (जूनियर डिवीजन) प्रारम्भिक परीक्षा का पाठ्यक्रम</u>

**प्रश्न पत्र-प्रथम**    **2 घंटे**    **अंक-150**

<u>सामान्य ज्ञान</u>

इस प्रश्न पत्र में भारत का इतिहास और भारतीय संस्कृति, भारत का भूगोल, भारतीय राजनीति, वर्तमान राष्ट्रीय मामले और सामाजिक सुसंगति के विषय, भारत और विश्व, भारतीय अर्थशास्त्र, अन्तर्राष्ट्रीय मामले और संस्थाएं और विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी, संचार एवं अंतरिक्ष के क्षेत्र में विकास पर आधारित प्रश्न सम्मिलित हो सकते हैं।

इन प्रश्न-पत्रों में प्रश्नों की प्रकृति और स्तर ऐसा होगा कि एक सुशिक्षित व्यक्ति बिना किसी विशिष्ट अध्ययन के उनके उत्तर दे सकने में सक्षम होगा।

**प्रश्न पत्र-द्वितीय**    **2 घंटे**    **अंक-300**

<u>विधि</u>

इस प्रश्न पत्र में भारत में तथा विश्व में विशेष रूप से विधिक क्षेत्र में, हो रही प्रतिदिन की घटनाएं, अधिनियम एवं विधियों पर आधारित प्रश्न सम्मिलित हो सकते हैं।

(i) विधि शास्त्र
(ii) अन्तर्राष्ट्रीय संगठन
(iii) वर्तमान अन्तर्राष्ट्रीय प्रकरण
(iv) भारतीय संविधान
(v) सम्पत्ति अन्तरण अधिनियम
(vi) भारतीय साक्ष्य अधिनियम
(vii) भारतीय दण्ड संहिता
(viii) सिविल प्रक्रिया संहिता
(ix) आपराधिक प्रक्रिया संहिता
(x) संविदा विधि

**उ.प्र. न्यायिक सेवा सिविल जज (जूनियर डिवीजन)**
**<u>मुख्य परीक्षा (लिखित परीक्षा) का पाठ्यक्रम</u>**

परीक्षा में निम्नलिखित विषय सम्मिलित होंगे :-

<u>प्रश्न पत्र संख्या - 1 सामान्य ज्ञान :-</u>

यह प्रश्न पत्र 200 अंकों का होगा। "सामान्य ज्ञान" का एक प्रश्न पत्र होगा।

इस प्रश्न पत्र में भारत का इतिहास और भारतीय संस्कृति, भारत का भूगोल, भारतीय राजनीति, वर्तमान राष्ट्रीय मामले और सामाजिक सुसंगति के विषय, भारत और विश्व भारतीय अर्थशास्त्र, अन्तर्राष्ट्रीय मामले और संस्थाएं और विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी, संचार एवं अंतरिक्ष के क्षेत्र में विकास पर आधारित प्रश्न सम्मिलित हो सकते हैं।

इस प्रश्न पत्र में प्रश्नों की प्रकृति और स्तर ऐसा होगा कि एक सुशिक्षित व्यक्ति बिना किसी विशिष्ट अध्ययन के उनके उत्तर दे सकने में सक्षम होगा।

<u>प्रश्न पत्र संख्या - 2 भाषा :-</u>

यह प्रश्न पत्र 200 अंकों का होगा। इसमें नीचे विनिर्दिष्ट प्रकार से चार प्रश्न सम्मिलित होंगे :-

| | | |
|---|---|---|
| (1) | अंग्रेजी में लिखित एक निबन्ध | 60 अंक |
| (2) | अंग्रेजी में सार लेखन | 60 अंक |
| (3) | हिन्दी से अंग्रेजी में परिच्छेद का अनुवाद | 40 अंक |
| (4) | अंग्रेजी से हिन्दी में परिच्छेद का अनुवाद | 40 अंक |

<u>प्रश्न पत्र संख्या - 3 विधि-1</u>

(मौलिक विधि) यह प्रश्न पत्र 200 अंकों का होगा। दिये गये प्रश्न निम्नलिखित द्वारा आच्छादित क्षेत्र तक ही सीमित होंगे :-

संविदा विधि, साझेदारी विधि, सुखाचार अधिकार और अपकृत्यों सम्बन्धी विधि सम्पत्ति के अन्तरण से सम्बन्धित विधि जिसमें विशेषकर उस पर लागू साम्या के सिद्धान्त सम्मिलित होंगे। न्याय एवं विनिर्दिष्ट अनुतोष का विधि के विशेष संदर्भ में साम्या के सिद्धान्त, हिन्दू विधि और मुस्लिम विधि और सांविधानिक विधि।

50 अंकों के प्रश्न केवल सांविधानिक विधि के सम्बन्ध में होंगे।

<u>प्रश्न पत्र संख्या - 4 विधि-2</u>

(प्रक्रिया एवं साक्ष्य) यह प्रश्न पत्र 200 अंकों का होगा। दिये गये प्रश्न निम्नलिखित द्वारा आच्छादित क्षेत्र तक ही सीमित होंगे :-

साक्ष्य विधि, दण्ड प्रक्रिया-संहिता और अभिवचन के सिद्धान्तों को सम्मिलित करते हुए सिविल प्रक्रिया संहिता दिये गये प्रश्न मुख्यतया व्यावहारिक मामलों से सम्बन्धित होंगे, जैसे कि तत्सम्बन्धित आरोपों और वाद-बिन्दुओं की विरचना, गवाहों के साक्ष्यों के साथ व्यवहार की विधियाँ, निर्णयों का लेखन और वादों का संचालन, किन्तु उन्हीं तक सीमित नहीं होंगे।

<u>प्रश्न पत्र संख्या - 5 विधि-3</u>

(दाण्डिक, राजस्व और स्थानीय विधियाँ) यह प्रश्न पत्र 200 अंकों का होगा। दिये गये प्रश्न निम्नलिखित द्वारा आच्छादित क्षेत्र तक सीमित होंगे :-

भारतीय दंड संहिता, उत्तर प्रदेश जमींदारी-विनाश और भूमि व्यवस्था अधिनियम, 1951, उत्तर प्रदेश शहरी भवन (किराये पर देने, किराये तथा बेदखली का विनियमन) अधिनियम, 1972, उत्तर प्रदेश नगर पालिका अधिनियम, संयुक्त प्रान्त पंचायत राज अधिनियम, उत्तर प्रदेश जोत चकबन्दी अधिनियम 1953, उत्तर प्रदेश नगर (योजना और विकास) अधिनियम, 1973 उक्त अधिनियमों के अधीन बनाये गये नियमों के साथ।

स्थानीय विधियों के प्रश्नों के उत्तर अनिवार्य होंगे। दाण्डिक विधियों से सम्बन्धित प्रश्न 50 अंकों के होंगे, जबकि राजस्व और स्थानीय विधियों के प्रश्न 150 अंकों के होंगे।

**संख्या - 6 साक्षात्कार** :-

साक्षात्कार 100 अंकों का होगा।

उत्तर प्रदेश न्यायिक सेवा में नियोजन के लिए अभ्यर्थी की उपयुक्तता का परीक्षण, उसकी क्षमता, चरित्र, व्यक्तित्व और शारीरिक सौष्ठव पर सम्यक् ध्यान देते हुए उसकी श्रेष्ठता के संदर्भ में किया जायेगा।

**स्पष्टीकरण** - अभ्यर्थी के लिए सामान्य ज्ञान और विधि प्रश्न पत्रों के उत्तर हिन्दी या अंग्रेजी में देने का विकल्प होगा।

**टिप्पणी** :- (1) साक्षात्कार में प्राप्त किये गये अंकों को लिखित प्रश्न पत्रों में प्राप्त किये गये अंकों में जोड़ा जायेगा और अभ्यर्थी का स्थान दोनों के कुल योग पर निर्भर करेगा।

(2) आयोग किसी अभ्यर्थी को साक्षात्कार के लिए बुलाने से इन्कार करने का अधिकार सुरक्षित रखेगा जिसने विधि प्रश्न पत्रों में इतने अंक प्राप्त न किए हों, जो उसके द्वारा ऐसे इंकार को न्यायोचित ठहरायें।